MINUTES OF THE CURRENT REMUNERATION RATES OF THE UNIVERSITY



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

२०७२/का.प. / बैटक / 19,

बिलासपुर, दिनांक 07/02/2019

//अधिसूचना//

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 80 वीं (आपात) बैठक माननीय कुलपित की अध्यक्षता में दिनांक 07/02/2019, दिन गुरूवार, दोपहर 12:30 बजे विश्वविद्यालय के 'सिरपुर प्रशासनिक भवन' के कुलपित कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही —

- 1. डॉ. बंश गोपाल सिंह अध्यक्ष कुलपति पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर
- 2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव सदस्य आचार्य मानविकी अध्ययन विभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली (कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
- डॉ. अनिता सिंह
 सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
 पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
 (कुलपित जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत)
- 4. डॉ. राजकुमार सचदेव सचिव कुलसचिव पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

- 1. सचिव छ.ग. शासन खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
- 2. श्री एस. के. चक्रवर्ती सदस्य संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग रायपुर (छ.ग.) (सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)

PSSOU/EC_78 / Page 1 of 4

Resold

stelf

भी एस, एल. नायक राय्वत सचिव छ ग शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नया रायपूर (छ.ग.) (सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सदस्य छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग नया रायपुर (छ.ग.) (सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)

प्रारम्भ में गणपूर्ति के अभाव में कार्य परिषद् की बैठक रथगित की गई थी तथा आधे घंटे के बाद रथगित बैठक प्रारंभ हुई। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया। वैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

प्रस्ताव क्र.1 भवन निर्माण समिति की द्वितीय बैटक (सत्र 2018—19 में) दिनांक 02/02/2019 के कार्यवाही–विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय -कार्य परिषद के द्वारा भवन निर्माण समिति के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 2 सत्र जुलाई-जून 2018-19 में 30 अध्ययन केन्द्रों को पोषण राशि की प्रथम किश्त रू. 11,55,770 / - की भुगतान स्वीकृति पर विचार।

निर्णय -कार्य परिषद के द्वारा प्रथम किश्त की राशि रू. 11,55,770 / - स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र. 3 डॉ जय सिंह, सह समन्वयक, उप क्षेत्रीय केन्द्र कांकेर की सेवा एक वर्ष बढ़ाये जाने पर विचार।

निर्णय -कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 4 वर्धमान मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान) से अनुबंध किये जाने पर विचार।

निर्णय -कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 5 अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से अनुबंध किये जाने पर विचार। निर्णय -

कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 6 डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर से अनुबंध किये जाने पर विचार। निर्णय -

कार्यपरिषद के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्र. 7 विश्वविद्यालय समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित परीक्षा पारिश्रमिक दरों को अंगीकृत किये जाने पर विचार। Risahe

1561 x

कारोपरिषद् के द्वारा विचारोपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया – रागनाय रागिति द्वारा पारित तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिरू कर्मांक 7932/अका./19 दिनांक 24/01/2019 के संगत प्रतीत होने वाले प्रावधानों को यथावत लागू किया जाये।

मुक्त विश्वविद्यालय होने के कारण अनेक कार्य जिनका उल्लेख अधिसूचना में नहीं है उनके दर विश्वविद्यालय में लागू पूर्व दर ही रहेंगे।

जिनका प्रावधान पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की अधिसूचना में नहीं है (बिन्दु क्रमांक 06) उस पर माननीय कुलपति जी को समय— समय पर दर निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया।

यह भी कि इनमें अन्य कार्य (बिन्दु क्रमांक 07) जिसका उल्लेख नहीं है को भी जोड़ा जाये।

- 4. इसे जून, 2019 की सत्रांत्र परीक्षा से लागू किया जाये।
- प्रस्ताव क्र. 8 विश्वविद्यालय में संचालित पाठयकमों के सम्पादन मंडल के देयकों का पुराने दर पर भुगतान किये जाने पर विचार।
- निर्णय कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन्हें पुराने दर पर कार्य सौंपा गया था उनका भुगतान पुराने दर पर ही किया जाये। प्रस्तावित सम्पादन मंडल के देयकों का भुगतान स्वीकृत किया गया।
- प्रस्ताव क्र. 9 विश्वविद्यालय के पैनल लॉयरों की सूची पर विचार।
- निर्णय कार्यपरिषद के द्वारा श्री विवेक रंजन तिवारी, अधिवक्ता का नाम पैनल लॉयर की सूची में जोड़े जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुये सूची को अनुमोदित किया।
- प्रस्ताव क्र. 10 माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में (पीएचडी से संबंधित 226 प्रकरण) विचाराधीन प्रकरणों में विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्तुत जवाब का अनुमोदन किये जाने पर विचार।
- निर्णय चूंकि माननीय कुलपित जी ने पुराने पीएचडी प्रकरणों पर कार्यपरिषद् के बैठकों में विचार एवं निर्णयों पर भाग नहीं लिया था। उसी आधार पर इस प्रस्ताव पर भी कुलपित जी ने विचार एवं निर्णय पर भाग नहीं लिया।

शेष उपस्थित सदस्यों ने अधिवक्ता एवं पैनल लॉयर द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया तथा यह निर्णय लिया कि –

(क) बिन्दु क्रमांक 13, 14, 15, 16 एवं 17 को जवाब में स्थगित रखा जाये तथापि यदि अधिवक्ता इसे आवश्यक मानते हैं तो कुलसचिव से चर्चा कर उचित निर्णय लें।

Riduha ptil f.

PSSOU/EC_78 / Page 3 of 4

यदि उचित हो तो अधिवक्ता लिखित प्रत्युत्तर भी कोर्ट में प्रस्तुत करें। इन संशोधनों के साथ ड्रापट को स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव क्र.11 विश्वकिद्यालय विद्या परिषद् की 29 वीं वैठक दिनांक 07/02/2019 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय – कार्यपरिषद के द्वारा विद्या परिषद् की 29 वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।

राजकुमार सचदेव) कुलसचिव / सचिव

पृ. क्रं. 2073 / का.प. / बैटक / 19. प्रतिलिपि – (बंश गोपाल सिंह) कुलपति/अध्यक्ष बिलासपुर, दिनांक 07/02/2019

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)

- 2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
- 3. सम्मानीय सदस्यगण -
- 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, भैदान गढी, नई दिल्ली।
- 3.2 श्री एस.के.चकवर्ती, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.3 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.4 श्री एस.एल. नायक, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.5 सचिव, छ.ग.शासन, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नथा रायपुर।
- 3.6 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

- 4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
- 5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6. संबंधित विभाग प्रमुखों ----- इन्यापना प्रमुखों के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीध अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
 - 7. नस्ती हेतु।

रिप्रिक्र कुलसचिव



पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक २६ सन् २००४ द्वारा स्थापित) कोनी—विरकोना मार्ग ,विलासपुर (छ.ग.) ४९५००९ दूरभाष क्रमांक : (०७७५२) २१०३१२ फैक्स : (०७७५२) २१३०७३ www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

कबु(८८/गोप. / 2021

बिलासपुर दिनांक 04/09/2021

//संशोधित अधिसूचना//

विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 6137/गोप./2019 दिनांक 28/02/2019 के अनुसार परीक्षा/गोपनीय संबंधी पारिश्रमिक दरों में परिवर्तन किया गया है। जो सभी विभागों में प्रसारित की गई थी। पुनः अधिसूचित पारिश्रमिक दर समस्त विभागों को प्रसारित की जा रही है। उक्त अधिसूचित पारिश्रमिक दर के आधार पर देयक प्रस्तुतीकरण अथवा भुगतान संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा समस्त विभागों अथवा केन्द्रों को प्रदत्त पारिश्रमिक देयक प्रारूप के पृष्ठ क्र. 02 पर अंकित दर सूची में प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत क्र. 02 पर अंकित UG एवं PG पाठ्यक्रम हेतु आंतरिक एवं बाह्य परीक्षक को देय न्यूनतम राशि रू. 200/— के स्थान पर रू. 500/— पढ़ा जावे।

आदेशानुसार

परीक्षा नियत्रंक

दिनांक 0 4 / 09 / 2021

क. २६६९ / गोप. / 2021 प्रतिलिपि:-

1. कुलपति जी के निज सचिव को मान. कुलपति जी के अवलोकनार्थ।

2. कुलसचिव के निज सचिच को कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।

3. वित्ताधिकारी की ओर सूचनार्थ।

4.विभाग की ओर सूचनार्थ।

5. क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर/दुर्ग/रायपुर/जशपुर/जगदलपुर/कांकेर/ अंबिकापुर की ओर अधिसूचना सभी अध्ययन केन्द्रों मे प्रसारण हेतु।

6. कार्यालय प्रति।

परीक्षा नियांत्रक



युन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

Pt. Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh, Bilaspur कोनी –िवरकोना मार्ग, बिलासपुर छ.ग. पिन नं.– 495005,

फोन: 07752-213073,643644,645346

क.613/ / गोप. / 2019

बिलासपुर दिनांक 28/02/2019

।। अधिसूचना।। प. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्य परिषद् की 80 वीं (आपात) बैठक दिनांक 07.02.2019 में प्रस्ताव क्रमांक 07 में APPENDIX: Remuneration for Examination Work का अनुमोदन किया गया है जो निम्नानुसार है:-

ADDENIDIY

	3	APP	PENDIX			
		REMUNERATION FO	R EXAMINATIO	N WORK		
				Appr	oved Rate	
					In Rs.	
1.	The S	cale of Remuneration of paper set	ter/examiners as fol	llows viz:-		
	(i) .	For Ph.D., D.Sc. & D.Lit. examing (a) Reading a Thesis for Ph.D.	nations:		2500	
		(b) Practical and Viva-Voce exam	ination for Ph.D.		1500	
		(c) Reading a Thesis for D.Sc. or			3500	
		(d) Practical and Viva-Voce exam	ination for D.Sc. or I	D.L.itt.	1500	
	(ii)	For M.Phil, PG and PG Diploma	a Examinations:			
	(11)	(a) Setting a Question Paper	New Pattern	With answer key	2000	
		(a) Setting a Question i apri		Without answer Key	1800	
		(b) Valuation of answer book	TEE	*	20	
					(Min. 200)	
			TMA		15	
			2 VIII 200		(Min. 200)	
		(C) (1) Reading the Thesis/ Dissertation and Viva-Voce of a candidate for PG & PG Diploma Examination				
		(2) Reading a project report/fi & PG Diploma Examinati	eld work/ field repor	t of a candidate for PG	120	
		(3) M Phil Dissertation/ Proje	100+50			
		(3) M.Phil Dissertation/ Project Report Valuation and Viva-Voce (d) Viva-Voce/Practical Examination of each candidate			15	
		(d) 1114 1 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			(Min. 500)	
	(iii)	For UG Examinations:		T.		
	(111)	(a) Setting a Question Paper	New pattern	With answer key	1800	
		(a) seeing a quality		Without answer Key		
		(b) Valuation of answer book	TEE		15	
					(Min. 100)	
			TMA		12	
					(Min. 100) 12	
		(c) Conducting Practical Examin	nation per Candidate	to each Internal and	(Min. 500)	
		External Examiners per Cent	re		(191111. 500)	

1				
(iv)	All Diploma/Certificate Courses: (a) Setting a Question Paper	New pattern	With answer key Without answer Key	1800 1600
	(b) Valuation of each answer book	TEE		15 (Min. 100)
		TNAA		12
		TMA		(Min. 100)
	(c) Conduction Practical Examination	on of each cand	lidate	12 (Min. 400)
(v)	Miscellaneous:			600
.(.,	(a) Drafting detailed memorandum	of instructions	for Co-examiners	600
	(Where no model answer are ser examined by Co-examiners(Whand the answer books examined	nt by head exan	niner and the answer books	iner ead
	examiner) (b) For translation of paper from E	nglish to Hindi	medium or other Indian	350
	Language and Vice-Versa.	S-LIC/PC	Essay Type	350
	(c) Moderation of question of pape	er for UG/FG	Multiple Choice Type	500
				(For 50
				Questions)
	Note:- (a) If a paper is set by two examine equally between them excepting (b) If a paper for an examination of compulsory, the remuneration section shall be half the remuneration section shall be sent by and the railway freight characteristic section of the packets will be sent by and the railway freight characteristic section of the sec	Rs. 100 40 Rs.		
	(d) Remuneration for re-examinate each examiner.		(141	in. Rs. 100)
	reach examiner. THE FOLLOWING SHALL BE THE RELATING TO DECLARATION OF OBTAINED EXAMINEES VIZ:-	HE RATES C F RESULTS A	ND ISSUE OF STATEME	NT OF MARKS
	(i) Checking/Scrutinizing per hundr	red candidates		40/- (Min. 40)
	(ii) For writing of statement of marks	s-each marks sh	neet	1
	(iii) For Checking/Scrutinizing of star	tement of mark	s-each mark sheet	1
	(iv) For writing of each Degree/Diplo	oma/Certificate		5

13				2
1	, (v)	For Checking/Scrutinizing of Degree/Diploma/Certificate-each Checker/		2
	COUNTY FOR	Countings		500000
3	Marim	um remuneration that a single person shall be entitled to draw from the university	ity	300000
	in resp	ect of one academic session for any or all of the work mentioned under paragraph	oh I	
	The same of the sa	Lall ha Do		
		and above the said limit shall lapse to the university.")	th a	
			, the	
	Vice-C	Chancellor may relax the maximum limit by Rs. 10000/- for reasons to be record	icu iii	
				of
-	4. Unless	s specially permitted, deduction shall be made from the remuneration bills on ac	count	
	the fol	lowing:-	c	15
	(i)	Delay in dispatch of foil/counter foils or marks to be the Registrar for each day	y or	13
	(.)	delay		15
	(ii)	D. L. in nature of answer books for each day of delay KS.	c	15
	(iii)	Delay in the dispatch of the report on the examination for each day of delay it	5.	15
	, (iv)	Entry of marks against wrong Roll Number-per mistake Rs.		15
	(v)	wy and a few after (e.g. 35 instead of 25)-ner mistake KS.	ve Rs	20
	(vi)	If marks in award list differ from those shown on the answer books-per mistal	o Pc	15
	(vii)	Omission to entry marks in award list although answer books sent- per mistak	e Ks.	15
	(viii)	Omission to mark a question or part of question- per mistake Rs.		15
	(ix)	Mistake in totaling of marks-per mistake Rs.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13
	Note:			
	110101	(a) If any examiner commits more than three mistake under any of the category	ries	
		the categories mentioned in the foregoing paragraph of II all	ii y	
		in a committee mistake or mistakes by Which the result of a candidate	13	
		offected his work shall be deemed as unsatisfactory and the matter may c	,	
		placed before the Executive Council for any action deemed proper.		
		(b) Deductions from the bill of tabulations for each mistake made by the		
		tabulator shall be.		T-0
	5 THI	E FOLLOWING SHALL BE THE RATES OF REMUNERATIONS PAYA	ABLE	10
	'PER	SONS ENGAGED IN WORK RELATING TO UNIVERSITY EXAMINA	TION	Α
		TRE VIZ:-		
	(A) T	THEORY	3	300
	(a) Senior Superintendent (Principle): Per Shift (Presence of the Principal during the entire period of examination) 	(Max	. 500 per
		(Presence of the Principal during the entire period of examination)		day)
				200
	(b) Superintendent: Per Shift		100 Per
				day)
				150
		(c) Assistant Superintendent: Per Shift		300 Per
			(IVIAX .	day)
		(d) Invigilator: Per Shift		120
		(e) Class III and Class IV staff of the college/Deptt. Engaged in examination	work	6 and 4
		at a centre.	r	espectively
		alatemet.		

at a centre.

(per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre to be distributed by the Centre Superintendent.)

(f) Lumsum grant payable(par candidate registered) to be examination centre to cover expencess on all contingent items.

(The Principal/ Head of the concerned, institution shall send a untilization centre.) certificate in this respect to the university.)

(B) PRACTICAL:

Laboratory staff engaged in connection with practical examinations-(per candidate for the total number of the candidate actually admitted to the examination at the centre.) 6

(C) Others:

(a) Forwarding of examination form (Officer and his staff per application form Forwarded.)

UG Exam.

30

2

(b) For supplying all necessary materials for practical examination

(in subjects where needed) Science and Home Science Namely vegetables, Chemical, dissection, animais, plant, raw material etc., PG Exam. The principal of the college concerned will be paid contingent charges for per candidate actually appeared in the examination.

For which Principal will have to issue an official receipt.

.

6. In case of a work for which no remuneration has been prescribed in the foregoing

S.No.	Nature of Confidential Work	Item ordinance 5-17 to which this work is considered EQUIVALENT	Revised rates of Remuneration
1.	To prepare the list of carry forward marks of candidates appearing for various examinations.	Writing of statement marks	Per Candidate
2.	Corrections in chart(including corrections for declaration of withheld results)	Writing of statement marks.	Per Candidate
3.	To put the correct Roll Nos. on award for practical's.	Collection of Results	Per Candidate
4.	To write the foils and counter foils for marks awarded in Central Valuation.	Collation of Result Tabulation	Per Candidate
5.	Posting of UFM and Revaluation cases & declaration of their results.		Per Candidate
6.	Scrutiny of answer Books.		Per Candidate

Note: The above rates shall apply from the Term End Examination June 2019.

आदेशानुसार, भिजीक्षेक् कुलसचिव क /35 /गोप./2019

बिलासपुर, दिनांक 2 8 / 02/2019

प्रतिलिपि :-

- 1. माननीय राज्यपाल एवं कुलिधपित महोदय के प्रमुख सिचव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर
- 2. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नबर, रायपुर
- 3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर
- 4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक—सी—30, द्वितीय एवं तृतीय तल,इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
- 5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशला / प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
- 6. समस्त विभागीय अधिकारी,
- मान. कुलपित के निज सिचव/कुलसिचव के निजी सहायक,
 पं सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

्रश्